रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 25, 2017/ ज्येष्ठ 4, 1939
No. 416] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 25, 2017/ JYAISTHA 4, 1939

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(न्यायनिर्णयन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2017

सा.का.नि. 515(अ).—न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15) की धारा 6 की उपधारा (15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पद्धति) विनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पद्धति) संशोधन विनियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पद्धति) विनियम, 2013 में,-

(अ) विनियम 11 में उपनियम (2) के खंड (ङ) का लोप किया जाएगा;

(आ) विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"13. समन और सूचना जारी करना –

(1) प्रत्येक समन या सूचना, यथास्थिति, प्ररूप-3 या प्ररूप-4 या प्ररूप-5 या प्ररूप-6 में, रजिस्ट्रार या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करके जारी की जाएगी ।

(2) प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर परिवादी या आवेदक द्वारा प्रत्येक समन और सूचना की तामील किसी जिल्दबंद अभिलेख पुस्तिका में अवलंब लिए गए सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ की जाएगी और ऐसी तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा तामील के सबूत के साथ तामील का शपथपत्र फाइल किया जाएगा ।

(3) (क) प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर समन या सूचना का तामील साधारणतया निम्नलिखित द्वारा की जा सकेगी,-

(i) दस्ती अर्थात् व्यक्तिगत रूप से परिदान या निविदान; या

(ii) रसीदी रजिस्ट्री (एडी) डाक द्वारा, या स्पीड पोस्ट या कूरियर सेवा द्वारा ; या

(iii) इलैक्ट्रोनिक मेल (ई-मेल) या फैक्स संदेश द्वारा .

(iv) यदि कोई समन या सूचना, जब उसे दी जाने पर इनकार कर दी जाती है या ऐसा व्यक्ति, जिस पर समन की तामील की जानी है, तामील की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तब परिवादी या आवेदक इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा और इस दशा में ऐसे समन या सूचना को तामील की गई समझी जाएगी ।

(4) यदि किसी कारण से ऐसे समन या सूचना की तामील व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा सकती है तो परिवादी या आवेदक ऐसे घर या कार्यालय में जिसमें प्रतिवादी/प्रत्यर्थी निवास करता है या अभिलाभ के लिए कारबार या व्यक्तिगत अभिलाभ के लिए कार्य करता है, के बाह्य दरवाजा पर या कोई अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति चिपकाकर समन की तामील कर सकेगा और उसके पश्चात् उसकी मूलप्रति को रजिस्ट्रार या प्रशासनिक अधिकारी को उस पर पृष्ठांकित या उससे संलग्न रिपोर्ट के साथ यह कथन करते हुए कि उसने इस प्रकार की प्रति संलग्न की है जिन परिस्थितियों के अधीन उसने ऐसा किया था और उस व्यक्ति का नाम या पता, यदि कोई हो जिसकी उपस्थिति में ऐसी प्रति चिपकाई गई थी और समन या सूचना जारी करने वाला प्राधिकारी उस दशा में घोषणा करेगा कि प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर समन की सम्यक तामील की गई है ।

(5) जहां किसी कंपनी, कारपोरेशन या फर्म पर सूचना तामील की जानी है वहां कंपनी या कारपोरेशन के उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या संबद्ध कारपोरेट कार्यालय के सचिव, निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी पर या फर्म के पते पर फर्म के स्वत्वधारी या भागीदारी पर इसे तामील की जा सकेगी ।

(6) किसी कारबार या कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्यवाही में जो समन या सूचना की तामील न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के अधिकारिता के भीतर निवास नहीं करता है किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील ठीक समझी जाएगी जो तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं ऐसा कारबार या कार्य करता है ।

(7) जहां प्रतिवादी या प्रत्यर्थी कारागार में परिरुद्ध है वहां समन या सूचना कारागार के भारसाधक अधिकारी को प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर तामील के लिए परिदत्त किया जाएगा या डाक अथवा अन्यथा द्वारा भेजा जाएगा ।

(8) जहां प्रतिवादी या प्रत्यर्थी भारत के बाहर निवास करता है और उसका भारत में ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां, यदि ऐसे स्थान पर जहां वह निवास कर रहा है डाक द्वारा या कूरियर द्वारा या ई-मेल द्वारा या फैक्स द्वारा किया जाएगा ।

(9) जहां केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विदेशी राज्यक्षेत्र के बारे में यह घोषणा की है कि उस विदेशी राज्यक्षेत्र में वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करने वाले या कारबार करने वाले या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करने वाले प्रतिवादियों या प्रत्यर्थियों पर तामील किए जाने वाले समन या सूचना विदेशी राज्यक्षेत्र की सरकार के ऐसे अधिकारी को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, भेजे जा सकेंगे वहां समन या सूचना ऐसे अधिकारी को भारत सरकार के विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय की मार्फत या ऐसी अन्य रीति से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भेजे जा सकेंगे और यदि ऐसा अधिकारी किसी ऐसे समन या सूचना को उसके द्वारा किए गए तात्पर्यित इस पृष्ठांकन के सहित लौटा देता है कि समन या सूचना तामील प्रतिवादी पर की जा चुका है तो ऐसा पृष्ठांकन तामील का साक्ष्य समझा जाएगा ।

(10) जहां किसी प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की ओर से कोई काउंसेल समन या सूचना स्वीकार करता है, और अपनी ओर से वकालतनामा या प्राधिकार फाइल करता है वहां ऐसे प्रतिवादी या प्रत्यर्थी पर समन या सूचना की तामील से अभिमुक्त किया जाएगा ।

(11) उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी किसी समन या सूचना , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 में यथाउपबंधित इलैक्ट्रोनिकी विधि से की जा सकती है और ऐसे संचार का प्रेषण विधिमान्य तामील के रूप में माना जाएगा ।

टिप्पण :- इन नियमों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 13 उपाबंध 1 के रूप में संलग्न है ।";

(इ) विनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"14. अभिलेख पर विधिक प्रतिनिधियों को लाना,- कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की दशा में परिवादी या आवेदक द्वारा ऐसे वारिसों को कार्यवाहियों के प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के रूप में जोड़ कर अभिलेख पर लाया जाएगा ।";

(ई) विनियम 15 में उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्रतिवादी या प्रत्यर्थी का उत्तर सुनवाई के लिए नियत तारीख के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जाएगा ।";

(उ) विनियम 28 के उपविनियम (3) में "साधारणतया" शब्द का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 5/7/2009-पीएमएलए]

मुकेश कुमार, अध्यक्ष

उपाबंध 1

13. इलैक्ट्रानिक अभिलेख के प्रेषण और प्राप्ति का समय और स्थान—(1) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख का प्रेषण उस समय होता है जब वह प्रवर्तक के नियंत्रण से बाहर किसी कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।

(2) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, किसी इलैक्ट्रानिक अभिलेख की प्राप्ति का समय निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) यदि प्रेषिती ने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए कोई कम्यूटर साधन अभिहित कर लिया है,—

(i) तो प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख अभिहित कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है, या

(ii) यदि इलैक्ट्रानिक अभिलेख, प्रेषिती के ऐसे कम्प्यूटर साधन में भेजा जाता है जो अभिहित कम्प्यूटर साधन नहीं है तब प्राप्ति उस समय हो जाती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख प्रेषिती द्वारा पुन:प्राप्त कर लिया जाता है;

(ख) यदि प्रेषिती ने विनिर्दिष्ट समयों के साथ-साथ, यदि कोई हो, कोई कम्प्यूटर साधन अभिहित नहीं किया है तो प्राप्ति तब होती है जब इलैक्ट्रानिक अभिलेख, प्रेषिती के कम्प्यूटर साधन में डाला जाता है ।

(3) प्रवर्तक और प्रेषिती के बीच जैसा अन्यथा तय पाया गया है उसके सिवाय, कोई इलैक्ट्रानिक अभिलेख उस स्थान पर प्रेषित कर दिया गया समझा जाता है जहां प्रवर्तक का अपना कारबार का स्थान है और उस स्थान पर प्राप्त हो गया समझा जाता है जहां प्रेषिती का अपना कारबार का स्थान है ।

(4) उपधारा (2) के उपबंध इस बात के होते हुए भी लागू होंगे कि वह स्थान जहां कम्प्यूटर साधन अवस्थित है, उस स्थान से भिन्न हो सकता है जहां इलैक्ट्रानिक अभिलेख उपधारा (3) के अधीन प्राप्त कर लिया गया समझा जाता है ।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के एक से अधिक कारबार के स्थान हैं तो कारबार का प्रधान स्थान, कारबार का स्थान होगा;

(ख) यदि प्रवर्तक या प्रेषिती के पास कारबार का स्थान नहीं है तो उसके निवास का प्रायिक स्थान कारबार का स्थान समझा जाएगा;

(ग) किसी निगमित निकाय के संबंध में "निवास का प्रायिक स्थान" से वह स्थान अभिप्रेत है जहां वह रजिस्ट्रीकृत है ।

टिप्पण :- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 177 (अ), तारीख 18 मार्च, 2013 में प्रकाशित किया गया था ।

IndiaCode

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(ADJUDICATING AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2017

G.S.R.515 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (15) of section 6 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Adjudicating Authority, hereby makes the following regulations to amend the Adjudicating Authority (Procedure) Regulations, 2013, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Adjudicating Authority (Procedure) Amendment Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Adjudicating Authority (Procedure) Regulations, 2013,-

(A) in regulation 11, in sub-regulation (2), clause (e) shall be omitted;

(B) for regulation 13, the following regulation shall be substituted namely:-

"13 **Issue of summon and notice** -

(1) Every summon or notice shall be issued in Form 3 or Form 4 or Form 5 or Form 6, as the case may be, and signed by the Registrar or Administrative Officer.

(2) Every summon and notice shall be served by the complainant or applicant upon the defendant or respondent along with complete relied upon documents in a bound paper book and an affidavit of service along with proof of service shall be filed by the person affecting such service.

(3) (a) The service of summon or notice upon the defendant or respondent may ordinarily be made by,-

(i) Dasti i.e. delivering or tendering personally; or

(ii) registered post acknowledgement due (AD), or by speed post or courier service; or

(iii) Electronic mail (e-mail) or by fax message.

(iv) If any summon or notice, when tendered, is refused or if the person on whom the summon to be served refuses to sign an acknowledgment of service, then the complainant or applicant shall make a report to this effect and in such event, such summon or notice shall be deemed to have been served.

(4) If for any reason the such summon or notice can not be served personally, the complainant or applicant may serve the same by affixing a copy of the summon on the outer door or some other conspicuous part of the house or office in which the defendant/ respondent resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the Registrar or Administrative Officer, with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so and the name and address of the person, if any, in whose presence the copy was affixed and the Authority issuing the summon or notice shall in that event declare that the summon has been duly served on the defendants or respondents.

(5) Where the notice is to be served upon a company, corporation or firm, it may be served upon the Secretary, Director or other principal officer of the company or corporation at its registered office or the concerned corporate office or upon the proprietor or partner of the firm at the address of the firm.

(6) In a proceeding relating to any business or work against a person who does not reside within the jurisdiction of the Adjudicating Authority the service of summon or notice may be made on any manager or agent, who, at the time of service, personally carries on such business or work for such person within such limits, which shall be deemed good service.

(7) Where the defendant or respondent is confined in a prison, the summon ornotice shall be delivered or sent by post or otherwise to the officer in charge of the prison for service on the defendant or respondent.

(8) Where the defendant or respondent resides out of India and has no agent in India empowered to accept service, the summon shall be addressed to the defendant or respondent at the place where he is residing and sent to him by post or by courier or by email or by fax.

(9) Where the Central Government has, by notification in the Official Gazette, declared in respect of any foreign territory that summon or notice to be served on defendants or respondents actually and voluntarily residing or carrying on business or personally working for gain in that foreign territory may be sent to an officer of the Government of the foreign territory specified by the Central Government the summon or notice may be sent to such officer, through the Ministry of the Government of India dealing with foreign affairs or in such other manner as may be specified by the Central Government; and if such officer returns, any such summon or notice with an endorsement purporting to have been made by him that the summon or notice has been served on the defendant, such endorsement shall be deemed to be evidence of service.

(10) Where a counsel accepts the summon or notice on behalf of any defendant or respondent and files, the vakalatnama or authority on his behalf, service of summon or notice upon such defendant or respondent shall be dispensed with.

(11) Notwithstanding anything in sub-regulation (3), a summon or notice may be communicated through electronic mode as provided in section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and transmission of such communication shall be regarded as valid service.

Note: Section 13 of the Information Technology Act is appended to these rules as Annexure 1.";

(C) for regulation 14, the following regulation shall be substituted namely:-

"14. **Bringing legal representatives on record. -**
In case defendant or respondent dies during the pendency of proceedings, his legal heirs shall be brought on record by the complainant or applicant by making such heirs as defendant or respondent to the proceedings.";

(D) in regulation 15, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted namely:-

"(2) The reply of the defendant or respondent shall not be entertained after the date fixed for hearing.";

(E) in regulation 28, in sub-regulation 3, the word "ordinary" shall be omitted.

IndiaCode

[F. No. 5/7/2009-PMLA]

MUKESH KUMAR, Chairperson

Annexure 1

Section 13. Time and place of dispatch and receipt of electronic record-
(1) Save as otherwise agreed to between the originator and the addressee, the dispatch of an electronic record occurs when it enters a computer resource outside the control of the originator.

(2) Save as otherwise agreed between the originator and the addressee, the time of receipt of electronic record shall be determined as follows, namely:-

(a) If the addressee has designated a computer resource for the purpose of receiving electronic records-
(i) Receipt occurs at the time when the electronic, record enters the addressee:
(ii) If the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not the designated computer resource, receipt occurs at the time when the electronic record is retrieved by the addressee:
(b) If the addressee has not designated a computer resource along with specified timings, if any, receipt occurs when the electric record enters the computer resources of the addressee.

(3) Save as otherwise agreed to between the originator and the addressee, an electronic record is deemed to the dispatched at the place where the originator has his place of business, and is deemed to be received at the place where the addressee has his place of business.

(4) The provisions of sub-sections (2) shall apply notwithstanding that the place where the computer resource is located may be different from the place where the electronic record is deemed to have been received under sub-section (3).

(5) For the purposes of this section,-

(a) If the originator of the addressee has more than one place of business, the principal place of business, shall be the place of business:

(b) If the originator or the addressee does not have a place of business, his usual place of residence shall be deemed to be the place of business;
(c) "usual place of residence", in relation to a body corporate, means the place where it is registered.

Note:- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 177(E) dated the 18th March, 2013.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.05.26 22:35:32 +05'30'